अप्रैल

संख्या ए-42011/01/2022-समन्वय
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
समन्वय अनुभाग
*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28th अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मार्च, 2022 के लिए मंत्रिमंडल के लिए प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को मार्च, 2022 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों के अवर्गीकृत मासिक सारांश की प्रति इसके साथ प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

दीपक कुमार 28/04/2022
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061047

सेवा में :-

1. मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य

प्रति प्रेषित:

1. सभी सचिव, भारत सरकार।
2. श्री अलकेश कुमार शर्मा, अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. आईटी सेल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन-मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

मार्च, 2022 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यकलापों का मासिक सारांश

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. 4,371 शहरों / कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,316 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,350 शहरों को ओडीएफ + के रूप में प्रमाणित किया गया है, 963 शहरों को ओडीएफ ++ के रूप में प्रमाणित किया गया है और 9 शहरों को जल+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालयों को गूगल मानचित्र पर "एसबीएम शौचालय" के नाम से देखा जा सकता हैं।

iii. स्वच्छता ऐप एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है, जिसकी मदद से संबंधित नगर निगम नागरिकों की शिकायतों का समाधान करते हैं। संशोधित संस्करण के माध्यम से नागरिक की कोविड से संबंधित शिकायतों का भी संबंधित यूएलबी द्वारा समाधान किया जाता है। स्वच्छता ऐप के कुल 1.93 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.52 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.35 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है, जो कि कुल शिकायतों का 93.25% है।

iv. 3 मार्च, 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से रायपुर में 'कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम: अपशिष्ट प्रबंधन में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। महिलाओं के नेतृत्व वाले अपशिष्ट प्रबंधन उद्यमों की तरफ से प्रस्तुति की श्रृंखला दिन का मुख्य आकर्षण थी। इनमें हसीरू डाला अर्थात कूड़ा बीनने वालों के साथ काम करने वाला बैंगलोर स्थित संगठन है, स्वच्छ सहकारी द्वारा चलाया जा रहा पुणे का रेड डॉट अभियान जो मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण पर गुरुग्राम का साहस एनजीओ कार्य कर रहा है तिरुचिरापल्ली की एसएचई टीम, तमिलनाडु स्लम में सामुदायिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव का कार्य कर रहा है, और कटक की ट्रांसजेंडर टीम - सामूदायिक शौचालयों से मल-जल शोधन संयंत्र तक एक छोर से दूसरे छोर तक स्वच्छता सुविधाओं का संचालन और प्रबंधन कार्य करना आदि शामिल है।

v. 25 मार्च 2022 को एसबीएम-शहरी ने "100 प्रकाशस्तंभ शहरों में सफाईमित्र सुरक्षा" विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए आपसी शिक्षण वेबिनार श्रृंखला के रूप में अपने आप में पहले "स्वच्छ वार्ता" कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण किया। वेबिनार का उद्देश्य सफाईमित्रों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'मैनहोल से मशीनहोल' में परिवर्तित करने के कार्य में इन 100 शहरों को तेजी से प्रगति करनी थी। इस चुनौती में शीर्ष 6 शहर: अर्थात >10 लाख से कम की जनसंख्या श्रेणी में इंदौर और नवी मुंबई, 3-10 लाख आबादी की श्रेणी में नेल्लोर और जमशेदपुर,

और <3 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में देवास और करीमनगर ने सफाई मित्र सुरक्षा के संबंध में अच्छे कार्य प्रस्तुत किए।

II. स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)

i. माह के दौरान 2,461 करोड़ रू. के मूल्य वाली 230 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है और 19,017 करोड़ रू. के मूल्य वाली 1212 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया गया है। अब तक 1,92,224 करोड़ रू. की 7,901 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गई है। 1,80,534 करोड़ रू. के मूल्य वाली 7,692 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 61,607 करोड़ रू. की 3,844 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है।

ii. एससीएम ने एनआईयूए द्वारा जारी 'नगरपालिका' शासन के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) ड्राफ्ट ज्ञान मानकों पर एक वर्चुअल डीप डाइव कार्यशाला आयोजित की।

iii. 16 मार्च 2022 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में सचिव (आवासन और शहरी कार्य) की उपस्थिति में ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज के 11 विजेता शहरों के नामों की घोषणा की गई थी ।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों के लिए 77,640 करोड़ रू. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज की तारीख में, 82,247 करोड़ रू. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने स्वीकृत एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। ऐसे मामलों में पूरी अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 26,432 करोड़ रू. के मूल्य वाली 4,199 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और 54,922 करोड़ रू. के मूल्य वाली 1,651 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर, लगभग 61,225 करोड़ रू. का वास्विक कार्य पूर्ण/चल रही अमृत परियोजनाओं में किया गया है अर्थात लगभग 79% वास्तविक कार्य पूरा हो चुका है।

ii. अब तक, 25 चयनित शहरों में परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन, और अमृत शहरों' और 'स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस)' में 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निर्माण' पर उप-योजनाओं के तहत 37,491 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. 13,022 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं; 9,629 स्वयं सहायता समूहों को परिक्रामी निधि दी गई; 7,573 उम्मीदवार कौशल प्रशिक्षित और प्रमाणित थे; 2,595 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया; 19,095 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण सहित सहायता प्रदान की गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 30,084 ऋण दिए गए।

ii. पीएम पथ विक्रेता आत्मानिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), के तहत 45,25,745 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 33,73,581 आवेदनों को संस्वीकृत किया गया है और 30,89,093 आवेदनों के लिए संवितरण किया जा चुका है।

iii. माह के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम योजना के तहत कुल 198.19 करोड़ रू. और पीएमस्वनिधि योजना के तहत 141.50 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

v. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) /सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. मिशन की स्थापना से लेकर अब तक, मिशन ने 1.23 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी है, जिनमें से 97.02 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 58.01 लाख आवासों को पूर्ण किया जा चुका है/सुपुर्द किया जा चुका है।

ii. माह के दौरान कुल 5784.36 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

VI. आवासन

i. नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ii. 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (नियमित - 25, अंतरिम - 06) की स्थापना की है। लद्दाख , मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं जबकि प्राधिकरण की स्थापित अभी की जानी है।

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम - 04) की स्थापना की है।

iv. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटों का संचालन किया है।

v. अब तक, देश भर में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा 87,633 शिकायतों (माह के दौरान 2,061 शिकायतों सहित) का निपटारा किया गया है।

vi. रेरा के तहत, अब तक 78,225 परियोजनाओं और 61,551 एजेंटों को पंजीकृत किया गया है। माह के दौरान 2,506 परियोजनाओं और 1,520 एजेंटों को पंजीकृत किया गया है।

****